प्रेस नोट

राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लि0 (RIICO) द्वारा जयपुर में दो महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजनाएँ विकसित की जा रही हैं। (1) यूनिटी मॉल, जो भारत सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना है, एवं (2) राजस्थान मंडपम, जो राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसकी घोषणा गत बजट में की गयी है।

हाल ही में कुछ व्यक्तियों द्वारा इन परियोजनाओं के संदर्भ में यह भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि यह परियोजनाएँ वन भूमि या जैव विविधता युक्त क्षेत्र में निर्मित हो रही हैं और हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। इन प्रचारों के पीछे अन्यथा उद्देश्य प्रतीत होते हैं। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है:

❖ भूमि की वैधता एवं प्रकृति:

जिस भूमि पर उक्त वर्णित दोनों परियोजनाएँ विकसित हो रही हैं, वह कभी भी वन भूमि, आरक्षित भूमि या जैव विविधता क्षेत्र घोषित भूमि नहीं रही हैं। उक्त समस्त भूमि प्रारंभ से ही निजी खातेदारी भूमि रही है, जिसे राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतू रीको के अनुरोध पर राजस्थान सरकार द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों को मुआवजा भुगतान कर अधिग्रहित कर RIICO को सौंपा गया था। यह भूमि न तो कभी राजस्व रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज थी और न ही किसी वन अधिनियम के अंतर्गत आती है।

❖ पूर्ववर्ती वैधानिक प्रक्रिया:

संबंधित भूमि की अधिग्रहण प्रक्रिया राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम, 1953 के अंतर्गत वर्ष 1982 से 1984 के बीच ही संपन्न हो चुकी थी। 1988 में यह भूमि जैम स्टोन औद्योगिक पार्क के लिए औद्योगिक उपयोग हेतु आवंटित की गई थी परन्तु आवंटन व लीज निरस्त कर दी गयी। इस भूमि को बाद में जयपुर के Master Plan 2025 में आवासीय उपयोग हेतु दिखाया गया। रीको ने Master Plan के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराई और 2017 में पुनः इसे औद्योगिक उपयोग के रूप में अधिस्वीकारित किया गया। उपरोक्त परियोजनाओं के विकास में मास्टर प्लान, भवन उपनियमों अथवा अन्य कियी कानूनी या पर्यावरणीय प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

❖ वन एवं जैव विविधता का तथ्यात्मक विश्लेषण:

कुछ कतिपय संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि उक्त भू–भाग पर "हजारों पेड़" लगे हैं और "सैकड़ों वन्य जीव" निवास करते हैं और इन परियोजनाओं के निर्माण से पर्यावरण को विनाश होगा। यह तथ्य पूरी तरह आधारहीन एवं मनगढन्त है। लंबे समय तक भूमि का उपयोग नहीं होने से कुछ पौधे व झाड़ियाँ स्वतः उग आयी हैं तथा कुछ पेड पूर्व से ही अवस्थित हैं। मौके पर जो पेड अवस्थित हैं, उन्हें विधिवत प्रक्रिया अपनाकर शिफ्ट करने की अनुमति सक्षम स्तर से ली जाकर ही किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को अपनाकर ही निर्माण किया जायेगा। जिस स्थान पर Unity Mall का निर्माण किया जा रहा है, वह सम्पूर्ण भूमि मौके पर खाली है, वहां कोई जैवविविधता नहीं है। भूमि पर लगे वृक्षों की यथासंभव सुरक्षा की जा रही है एवं परियोजना को डिजाइन इस प्रकार किया गया है कि अधिकाधिक वृक्षों को यथास्थान रखा जा सके। जिन वृक्षों को हटाना परियोजना के लिये आवश्यक है,

उन्हें हटाते हुये माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुसार 10 गुणा पेड लगाये जायेंगे।

इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस भूमि को वन भूमि आदि घोषित करवाने के उद्देश्य से एक **जनहित याचिका** डी.बी. सिविल रिट संख्या 14635/2023, उनवान "लोक संपत्ति संरक्षण संस्थान बनाम राज्य सरकार एवं अन्य" माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में प्रस्तुत की गई थी। उक्त याचिका को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.09.2024 को यह स्वीकार करते हुये कि प्रश्नगत भूमि औद्योगिक श्रेणी की है, खारिज कर दिया गया साथ ही, याचिकाकर्ता पर भ्रामक और महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए याचिका दायर करने के कारण **एक लाख रूपये का जुर्माना** भी लगाया गया।

इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकरण संख्या 115/2023, उनवानी "सुश्री कोमल श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं अन्य", माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण को भी माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 18.09.2023 को निस्तारित किया जा चुका है तथा वन एवं जैव विविधता के तथ्य को नहीं माना गया है।

गौरतलब है कि राज्य के वर्ष 2021–22 के बजट में जयपुर को देश में फिनटेक सिटी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से फिनटेक पार्क की घोषणा की गई थी जिसकी पालना में इसी भूमि पर फिनटेक पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित था।

यहां यह उल्लेखनीय है कि यूनिटी मॉल एक राष्ट्रीय महत्त्व की प्रमुख परियोजना है, जो "वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट'' (ODOP) को बढ़ावा देने और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। यूनिटी माल राजस्थान के सभी जिलों के ODOP उत्पादों, GI टैग प्राप्त वस्तुओं, पारंपरिक कला, शिल्प और संस्कृति को प्रदर्शित व विपणन करने के लिए एक केंद्रीय मंच प्रदान करेगा। इससे स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों और MSMEs को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच और स्थायी आजीविका के अवसर मिलेंगे। निर्माण और संचालन दोनों चरणों में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। यह परियोजना '**वोकल फॉर लोकल**' और '**मेक इन इंडिया**' अभियानों को भी मजबूती देगी।

राजस्थान मंडपम राज्य का एक ऐसा कन्वेन्शन सेंटर होगा जो जयपुर को वैश्विक व्यापार और सम्मेलन मानचित्र पर स्थापित करेगा। यहां एक ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर की भी योजना है, जहां अंतरराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने बैकएंड कार्यों का संचालन करेंगी, जिससे राजस्थान में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। इससे राजस्थान के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और उन्हें अन्य महानगरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह राजस्थान का पहला ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर होगा।

यहां यह अवश्य स्पष्ट किया जाता है कि इन परियोजनाओं के बारे में फैलाई जा रही भ्रामक या तथ्यहीन जानकारी पूर्णतः असत्य एवं प्रेरित हैं। रीको इन परियोजनाओं को सभी कानूनी और पर्यावरणीय नियमों का पूर्ण पालन करते हुए कार्यान्वित कर रहा है, ताकि राजस्थान का औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक विकास तीव्र गति से हो सके।

****